पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 197/2019

1. कृष्ण कुमार पुत्र सतवीरसिंह जाति जाट निवासी बुढेर त0 भादरा।

:– **वादी**

ब ना म

1. सतवीर पुत्र रणसिह जाति जाट निवासी बुढेर त0 भादरा।
2. सुरेन्द्र कुमार ⎤ पुत्रान सतवीर जाति जाट निवासी बुढेर त0 भादरा।
3. धर्मपाल ⎦
4. आरएमजीबी शाखा अजीतपुरा जरिये शाखा प्रबंधक अजीतपुरा।
5. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री प्रभूराम गोदारा एवं वकील प्रतिवादीगण श्री संदीप गोदारा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा बुढेर के खाता सं0 13/14 के खसरा सं0 9 की 4.4390है0, खसरा सं0 24 की 3.8700है0, खसरा सं0 38/2 की 5.9940है0, खसरा सं0 164 की 2.9090है0 कुल 17.2120है0 बारानी खातेदारी प्रतिवादी सं0 1 सतवीर के नाम से 1/8 हिस्सा व रोही मोजा अजीतपुरा के खाता सं0 163/151 के खसरा 968 की 11.9630है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 सतवीर के नाम से 1/8 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। में से प्रतिवादी सं0 1 सतवीर का नाम कलमजन किया जाकर वादी 1/24 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 2 को 1/24 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 3 को 1/24 हिस्सा के खातेदार घोषित किया जाता है। व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी कृष्ण कुमार 1/24 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 2 सुरेन्द्र कुमार 1/24 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 3 धर्मपाल को 1/24 हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 31.03.21 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.04.08 11:21:46 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट–ट्रैक) (सत्यनारायण)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ

Scanned with CamScanner

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 197/2019

1. कृष्ण कुमार पुत्र सतवीरसिंह जाति जाट निवासी वुढेर त0 भादरा।

:- वादी

ब ना म

1. सतवीर पुत्र रणसिंह जाति जाट निवासी वुढेर त0 भादरा।
2. सुरेन्द्र कुमार } पुत्रान सतवीर जाति जाट निवासी वुढेर त0 भादरा।
3. धर्मपाल }
4. आरएमजीवी शाखा अजीतपुरा जरिये शाखा प्रबंधक अजीतपुरा।
5. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

:- प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री प्रभूराम गोदारा : वादी
वकील श्री संदीप गोदारा : प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक : 31.03.21

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मोजा वुढेर के खाता सं0 13/14 के खसरा सं0 9 की 4.4390है0, खसरा सं0 24 की 3.8700है0, खसरा सं0 38/2 की 5.9940है0, खसरा सं0 164 की 2.9090है0 कुल 17.2120है0 वारानी खातेदारी प्रतिवादी सं0 1 सतवीर के नाम से 1/8 हिस्सा व रोही मोजा अजीतपुरा के खाता सं0 163/151 के खसरा 968 की 11.9630है0 वारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 सतवीर के नाम से 1/8 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। जो पहले प्रतिवादी सं 1 के पिता रणसिंह की खातेदारी हुआ करती थी। रणसिंह से विरासतन उक्त भूमि को प्रतिवादी सं0 1 सतवीर ने कर्ता खानदान होने के चलते तन्हा अपने नाम विरासतन दर्ज करवा ली।

वादी एंव प्रतिवादगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादी अपनी वंटवारा की भूमि को समतल, उपजाउ वनाकर सुधार करना चाहते है जिसके लिए उन्हे केसीसी, ऋण आदि की आवश्यकता रहती है इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण को उक्त वाद भूमि को अपने हक हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये लिहाजा यही वनाए मुखास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर [illegible] प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलव किया गया। सम्मन तामील होने के [illegible] वादी एवं प्रतिवादी सं 1 ता 3 द्वारा आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया गया। [illegible] 4 को वकील वादी ने तर्क अंकित किया। प्रतिवादीगण द्वारा [illegible] नामा पेश किये जाने पर तनकी की कोई आवश्यकता नही है। अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.04.08 11:21:46 IST
Reason: SelfAttested

साक्ष्य वादी में पीडब्ल्यु कृष्ण कुमार पुत्र सतवीरसिंह जाति जाट निवासी बुढेर के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमावंदी ग्राम बुढेर संवत 2073–76 प्रदर्श 1, जमावंदी अजीतपुरा संवत 2074–77 प्रदर्श 2, जमावंदी रोही अजीतपुरा संवत 2074–77 प्रदर्श 3, जमावंदी रोही वुढेर संवत 2033–36 प्रदर्श 4,

Scanned with CamScanner

जमाबंदी रोही अजीतपुरा संवत 2029—38 प्रदर्श 5, वारिस प्रमाण पत्र गढडा 6 प्रदर्शित करवाये।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादी के हकों पर विपरित असर पड़ता है। इस प्रकार मुताविक राजीनामा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर वाद वादीगण डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादीगण ने अजीतपुरा व बुढेर के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने दावा की पुष्टि में जो सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी व वारिस प्रमाण पत्र मय शपथ पत्र प्रदर्श 6 प्रदर्शित करवाये। प्रदर्श 6 में वारिसप्रमाण पत्र में सतवीर के तीन पुत्र कृष्ण कुमार, सुरेन्द्र कुमार, धर्मपाल के अलावा अन्य कोई वारिस होना नही बताया गया है। वाद भूमि रोही मोजा अजीतपुरा के खाता सं0 456 के खसरा सं0 995 की 3.123है0, खसरा सं0 996 की 3.554है0 कुल 6.677है0 बारानी खातेदारी प्रतिवादी सं0 1 सतवीर के नाम 247 हिस्सा यथावत रखते हुए रोही मोजा बुढेर के खाता सं0 13/14 के खसरा सं0 9 की 4.4390है0, खसरा सं0 24 की 3.8700है0, खसरा सं0 38/2 की 5.9940है0, खसरा सं0 164 की 2.9090है0 कुल 17.2120है0 बारानी खातेदारी प्रतिवादी सं0 1 सतवीर के नाम से 1/8 हिस्सा व रोही मोजा अजीतपुरा के खाता सं0 163/151 के खसरा 968 की 11.9630है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 सतवीर के नाम से 1/8 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। में से प्रतिवादी सं0 1 सतवीर का नाम कलमजन किया जाकर वादी को 1/24 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 2 को 1/24हिस्सा व प्रतिवादी सं0 3 को 1/24 हिस्सा के खातेदार घोषित किये जावें। इस प्रकार वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा व पैतृक सम्पति के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है। ।

क्रियात्मक आदेश

अत : वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा बुढेर के खाता सं0 13/14 के खसरा सं0 9 की 4.4390है0, खसरा सं0 24 की 3.8700है0, खसरा सं0 38/2 की 5.9940है0, खसरा सं0 164 की 2.9090है0 कुल 17.2120है0 बारानी खातेदारी प्रतिवादी सं0 1 सतवीर के नाम से 1/8 हिस्सा व रोही मोजा अजीतपुरा के खाता सं0 163/151 के खसरा 968 की 11.9630है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 सतवीर के नाम से 1/8 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। में से प्रतिवादी सं0 1 सतवीर का नाम कलमजन किया जाकर वादी 1 को 1/24 हिस्सा व प्रतिवादी सं02 को 1/24 व प्रतिवादी सं0 3 को 1/24 हिस्सा के खातेदार घोषित किया जाता है। व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी कृष्ण कुमार 1/24 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 2 सुरेन्द्र कुमार 1/24 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 3 धर्मपाल को 1/24 हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पत्रावली नियमानुसार...

निर्णय आज दिनांक 31.03.21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.04.08 11:21:46 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा
(सत्यनारायण)

R.A.S.

सहायक कलक्टर (फास्ट—ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner